UPFD010053892026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2769/2026

मौनू गिरी पुत्र श्री बृराज गिरी निवासी ग्राम दत्तगढ़ थाना एका जिला फिरोजाबाद।

... ... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र० सरकार ... ... **विपक्षी।**

अपराध संख्या–179/2025
धारा–87 बी०एन०एस०,
थाना–एका,
जिला–फिरोजाबाद।

अभियुक्त **मौनू गिरी** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–**87 बी०एन०एस०,** मु०अ०सं०–179/2025 थाना–**एका,** जिला– फिरोजाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त ने शपथपत्र दाखिल किया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अभियोग से सम्वन्धित कोई अपराध कारित नही किया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/ अभिुक्त को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, प्रथम जमानत प्रार्थनपत्र नोटप्रेस कर लिया गया था। वादी मुकदमा की बेटी बालिग है, जिसकी उम्र करीब 23 साल है वह अपनी स्वेच्छा से एवं सहमति से जा सकती है। घटना चार दिन बाद काफी सोच समझकर लिखायी गयी है, जिसका कोई स्पष्ट कारण दर्शित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से 40,000/– रुपये वादी मुकदमा ने लिये थे। पैसा वापस न करना पड़े इसलिए यह झूंठा मुकदमा दर्ज कराया है। प्रार्थी/ अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दौरान विचारण प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। अतः माननीय न्यायालय से अग्रिम जमानत प्रदान करने की याचना की है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री मोघ सिंह द्वारा थाना एका पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 12.07.2025 को उसकी पुत्री कुमारी राजमाला उर्फ गौरी उम्र करीब 23 वर्ष को मोनू गिरि उपरोक्त बहला फुसलाकर ले गया है। वादी मुकदमा व उसके परिवारीजनों ने काफी तलाश किया है। लेकिन कुछ पता नहीं चल सका है। घटना से एक दिन पहले मोनू ने वादी मुकदमा की बेटी के लिए फोन घर के सामने फेंका था। जो उसके पास था। वह उस मोबाइल को घर छोड़कर चली गयी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की मांग की है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के विद्धतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ केस डायरी का सम्यक परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/ अभियुक्त पर दिनांक 12.07.2025 को वादी मुकदमा की पुत्री कु० राजमाला उर्फ गौरी को बहला फुसला कर घर से भगाकर ले जाने का आरोप है, जिसका पुष्टिकारक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। मामले में विवेचना प्रचलित है। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य व केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम दृष्टया अभियुक्त की संलिप्तता दर्शाती है । अपराध गम्भीर प्रकृति का है। थाने द्वारा प्रस्तुत आख्या में भी अभियुक्त को भिण्ड से तलाश कर लाने व जमानत देने की स्थिति में पुनः फरार होने की सम्भावना को व्यक्त किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना न्यायालय की राय में अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **मौनू गिरी** के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 25–06–2026

(नीलू मोघा)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।